राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं 09 / 2025

अपीलांटगण–

1. श्री बरकत पुत्र साकरखा
2. श्री जोहबा पुत्र साकरखां
3. श्री हैदर पुत्र मगेखा
4. श्रीमती मुमल पत्नी मगेखा
5. श्री फुसेखां पुत्र हाजीखां
6. श्री रिमजानखां पुत्र हाजीखा
7. श्री शायरखा पुत्र हाजीखा
8. श्री आसीनखा पुत्र हाजीखा
9. श्री सुमारखां पुत्र हाजीखा
10. मिसरो पुत्री हाजीखा
11. श्रीमती रेवत पत्नी हाजीखां जातियान सिंधी मुसलमान, निवासीयान सिमरखीया, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1 श्री अकबरखां पुत्र अकबरखां
- 1.1 श्री हबीबरखा पुत्र अकबरखा
- 1.2 श्री अलीखां पुत्र अकबरखा
- 1.3 श्री नसीरखा पुत्र अकबरखा
- 1.4 श्री मुबीनखा पुत्र अकबरखा
- 1.5 श्रीमती मीमो बेवा अकबरखा

जातियान सिंधी मुसलमान, निवासीयान सिमरखीया, तहसील पचपदरा।

2 श्री सुभान पुत्र अगरू फौत के कायम मुकाम
- 2.1 मुसेखा पुत्र सुभान
- 2.2 अदरीमखां पुत्र सुभान
- 2.3 इब्राहीमखां पुत्र सुभान

जातियान सिंधी मुसलमान, निवासियान सिमरखीया, तहसील पचपदरा

- 2.4 समुबनो पुत्री सुभान पत्नी मीरखान खां जाति सिंधी मुसलमान, निवासी लाडूरों की ढाणी, गंगापुरा, तहसील पचपदा, जिला बालोतरा।

3 श्री बचूखां पुत्र अगरू
4 श्री मिला पुत्र अगरू
5 श्री शेरू पुत्र कादर
6 श्री शकुरा पुत्र कादर
7 श्री खमेखा पुत्र कादर
8 श्री निमामखा पुत्र कादर जातियान सिंधी मुसलमान, निवासीयान सिमरखीया, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा
9 जयपुर थार ग्रामीण बैक शांखा बागावास, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।
10 पंजाब नेशनल बैंक शाखा पचपदरा।
11 भारतीय स्टेट बैंक शाखा मण्डली
12 श्री भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा,

जिला कलक्टर
बालोतरा

जिला बालोतरा।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध कैम्प सिमरखीया विभाजन आदेश कमांक राज/04/1656 दिनांक 29.12.2004 एवं आदेश की पालना में म्युटेशन संख्या 338 दिनांक 01.01.2005 जो तहसीलदार पचपदरा द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री मुनीर अलीपठान, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पोडेंटगण संख्या 1/1 ता 1/5 तथा 2/1 ता 2/4 बावजूद सूचना अनुपस्थित।
3. श्री भुपेन्द्र गहलोत, अधिवक्ता रेस्पोडेंटगण संख्या 3, 4, 5, 6, 7, 8 की ओर से उपस्थित।
4. रेस्पोडेंटगण संख्या 9 ता 12 प्रफॉर्मा पक्षकार।

निर्णय

दिनांकः 09.09.2025

1. अपीलांटगण की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार पचपदरा के द्वारा प्रशासन आपके द्वार अभियान 2004 कैम्प सिमरखिया विभाजन हेतु पारित आदेश दिनांक 29.12.2004 तथा उक्त विभाजन आदेश पालना में म्युटेशन संख्या 338 दिनांक 01.01.2005 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 03.03.2025 को पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि कि अपीलांटगण तथा रेस्पोडेंटगण संख्या 1 ता 8 की सह खातेदारी खसरा संख्या 283, 302, 305, 309, 315, 326, 327, 313, 314 कुल खसरा 9 कुल रकबा 260 बीघा की भूमि मौजा सिमरखीया, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा में अवस्थित है। उक्त भूमि अपीलांटगण एवं रेस्पोडेटगण के संयुक्त खातदारी है। जिसमें अपीलांटगण एवं रेस्पोडेंटगण के हकपूर्वाधिकारी का संयुक्त खातेदारी का रहा है। उक्त भूमि के खातेदारान अपीलांटगण व रेस्पोडेंटगण ने प्रशासन आपके द्वार अभियान 2004 कैम्प सिमरखीया में सह खातेदारान द्वारा विभाजन प्रस्ताव दिनांक 18.12.2004 को उपस्थित हुए। प्रस्तुत सहमति विभाजन पर तथा पटवारी रिर्पोट के आधार पर तहसीलदार पचपदरा के विभाजन ओदश कमांक/राजस्व/656 दिनांक 29.12.2004 द्वारा पारित किया गया। स्वीकृति के अनुसरण में हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण सख्या 338 दायर कर तहसीलदार पचपदा के समक्ष प्रस्तुत किया तथा तहसीलदार पचपदरा द्वारा दिनांक 01.01.2005 को म्युटेशन को स्वीकृत कर दिया गया है। उक्त अपीलाधीन विभाजन उपरांत नामान्तरकरण स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 03.03.2025 को प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अपीलाधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. रेस्पोडेंटगण संख्या 3 ता 8 के अधिवक्ता ने जवाब में यह कथन किया कि अपीलांटगण तथा रेस्पोडेंटगण संख्या 1 ता 8 की सह खातेदारी खसरा संख्या 283, 302, 305, 309, 315, 326, 327, 313, 314 कुल खसरा 9 कुल रकबा 260

जिला कलक्टर
बालोतरा

बीघा की भूमि मौजा सिमरखीया, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा में अवस्थित है। समस्त खातेदारान की सहमति से तहसीलदार पचपदरा के समक्ष उपस्थित होकर धारा 53 (2) आरटीए एक्ट के तहत सही व वास्तविकता के अनुसार मौके पर काबिज काश्त अनुसार सहमति से बंटवाड़ा किया गया, जिसकी पालना में माफिक आपसी सहमति से बंटवाड़ा अनुसार तथा अपीलांटगण को सुनवाई का अवसर देते हुए भूमि का बंटवाड़ा नामान्तरण संख्या 338 पारित किया गया। समरी प्रोसेडिंग से किसी के हकों या हिस्से का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। अगर अपीलांट का हिस्सा कम दिया है तो अपीलांटगण समक्ष न्यायालय में घोषणा का दावा प्रस्तत कर सकता है। अपीलांटगण द्वारा वर्तमान अपील अंतर्गत धारा 75 के तहत नामान्तरकरणं संख्या 338 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है तथा अपील में धारा 225 के तहत सहमति से हुए बंटवाड़ा को चुनौती नहीं दी गयी है। तहसीलदार पचपदरा द्वारा आपसी सहमति के विभाजन उपरांत नामान्तरकरण संख्या 338 दिनांक 01.01.2005 सही व विधि अनुसार पारित किया है तथा सही तरीके से म्यूटेशन की प्रविष्टी दर्ज की गई विभाजन प्रस्ताव किसी भी प्रकार से अशुद्ध रूप से तरमीम नही की गयी। अपीलांट द्वारा वर्तमान अपील 21 वर्षो बाद प्रस्तुत की है तथा इतने वर्षो तक अपीलांटगण द्वारा अपील प्रस्तुत क्यों नहीं की गयी, जिसके बारें में एक भी कथन वर्तमान अपील प्रकरण में नहीं कियां गया है। अतः तहसीलदार पचपदरा द्वारा उक्त विभाजन आदेश तथा पारित आलोच्य म्युटेशन संख्या 338 दिनांक 01.01.2005 जारी किया गया है, को बहाल रखते हुए अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन, आधारहीन तथा म्याद बाहर होने से उक्त अपील खारिज करने का आदेश फरमावे।

5. अपीलांटगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस यह कथन किया कि अपीलांटगण तथा रेस्पोडेंटगण संख्या 3 ता 8 की सह खातेदारी खसरा संख्या 283, 302, 305, 309, 315, 326, 327, 313, 314 कुल खसरा 9 कुल रकबा 260 बीघा की भूमि मौजा सिमरखीया, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा में अवस्थित है। उक्त वर्णितानुसार खातेदारी भूमि साकरखां, अगरूखां पिसरान भोमेखां राजस्व रेकर्डेड खातेदार थे। जिनके इंतकाल के बाद अपीलांटगण सहित रेस्पोडेंटगण सं. 1 ता 8 उनके विधिक वारिसान हुए। अपीलांटगण एवं रेस्पोडेंटगण उक्त खसरान का बंटवाड़ा प्रशासन आपके द्वार अभियान 2004 कैम्प सिमरखीया तहसीलदार पचपदरा किया गया था, लेकिन उक्त खसरे की आज से पूर्व व आज दिन तक मौके पर कोई तरमीम की कार्यवाही नहीं की गयी है और ना ही राजस्व रेकर्ड में ही खसरा लटठे मे तरमीम की कार्यवाही हुई है। उक्त वर्णित खसरान की भूमि का विधिवत बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस एवं मौके कब्जा काश्त के अनुसार बंटवाडा प्रत्येक वारिसान के मध्य किया जाना आवश्यक था। साथ ही प्रत्येक खातेदार को बराबर हिस्से भूमि प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन उक्त बंटवाड़ा के रेस्पोडेंटगण के हिस्से में रकबा 7 बीघा 02 विस्वा भूमि ज्यादा देते हुए आलोच्य विभाजन आदेश तहसीलदार पचपदरा द्वारा पारित किया गया है। उक्त खसरान में खातेदार को आवागमन हेतु रास्ता की सुविधा नहीं दी गई है। बंटवाडा तथाकथित रुप से आनन फानन में तहसीलदार पचपदरा द्वारा दिनांक 18.12.2004 को किया गया है। उसमें अपीलांटगण व उनके पूर्वजो को पक्षकार संयोजित नहीं किया था, केवल मात्र उनके नाम अंकित कर दीगर जरूरतो को पूरा करने हेतु कागज बनाने का कहकर हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान करवा कर उक्त आलोच्य बंटवाडा करवा लिया गया था। उक्त आलेच्य बंटवाड़ा वास्तव में मौके पर हुआ ही नहीं मात्र दिग्भ्रमित कर कागजो मे उसका इन्द्राज करवा लिया गया तथा जो बंटवाडा किया गया वह भी त्रुटिपूर्ण होकर सही व वास्तविकता के विपरित किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन आदेश मे एकतरफा कार्यवाही करते हुए बिना सुनवाई का मौका दिये उपरोक्त

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा

वर्णितानुसार खसरान की भूमि का बंटवाडा नामान्तकरण दर्ज कर दिया गया है, जबकि अपीलांटगण व रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 8 विधिक वारिसान होकर उनका हिस्सा भी बराबर निहित होने के बावजूद भी रेस्पोडेंटगण रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 8 के खाते में अधिक भूमि दर्ज कर दी गयी। हस्तगत प्रकरण में विभाजन उपरांत म्युटेशन संख्या 338 दिनांक 01.01.2005 को भरते समय अपीलांटगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया, बिना सुनवाई का अवसर देते हुए आलोच्य म्युटेशन तहसीलदार पचपदरा द्वारा पारित किया गया है। हस्तगत प्रकरण मे भू अभिलेख निरीक्षक के द्वारा जो मौका रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी है, वह रिपोर्ट बिना पैमाईश करवाये और बिना मौके की जांच किये तथा अपीलांटगण को सूचित किये तैयार करवायी गयी। अतः अपीलांटगण प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार पचपदरा द्वारा पारित आलौच्य बंटवाडा नामान्तरकरण आदेश को अपास्त फरमाया जाकर अपीलांटगण एवं रेस्पोडेंटगण के निहित हिस्से का निर्धारण बराबर किये जाने का आदेश पारित फरमाया जावे।

6. अपीलांटगण के योग्य अधिवक्ता ने दौराने बहस यह भी कथन किया कि अपीलाधीन आदेश मात्र म्यूटेशन प्रविष्टी में तारीख अंकित की गयी है तथा म्यूटेशन को गलत रूप से स्वीकृत किया जाकर विभाजन की अशुद्ध रूप से तरमीम की गयी है। विभाजन का म्यूटेशन पारित करने से पूर्व अपीलांटगण को सुनवाई का कोई युक्तियुक्त अवसर उपलब्ध नही करवाया गया है तथा अपीलांटगण की सुनवाई किये बिना अपीलांटगण के कब्जे काश्त की भूमि के मौके देखे बिना आलोच्य तथाकथित विभाजन आदेश एवं उक्त तथाकथित आदेश की पालना में भरा गया म्यूटेशन गलत है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 (2) के तहत आपसी सहमति के आधार पर कृषि जोत के विभाजन हेतु रेस्पोडेंट संख्या 12 के समक्ष पेश होने की दशा में आवेदन प्रस्तुत करने का उस पर दिनांक अंकित करते हुए विभाजन की पत्रावली संधारित किया जाना एवं पक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। प्रक्रिया विधि की पालना किये बिना रेस्पोडेंट संख्या 12 द्वारा तथाकथित विभाजन आदेश पर अपीलांटगण की गैर मौजूदगी में अपीलांटगण को सुनवाई का अवसर उपलब्ध करवाये बिना विभाजन का म्यूटेशन में मात्र स्वीकृत शब्द लिखकर विभाजन का जो आदेश पारित किया गया है जो विधि अनुकूल नहीं है। रेस्पोडेंट संख्या 12 द्वारा, रेस्पोडेंट संख्या 1 से 8 के साथ मिलावट करके उसे फायदा पहुंचाने की गरज से भूमि के मौका स्थिति की जांच किये बिना अपीलांटगण को सुने बिना एकांकी रूप से विधि विरूद्ध ढंग से अपनी मनमर्जी से विभाजन आदेश स्वीकृत कर दिया। जिस हेतु अभी हाल ही में अपीलांटगण द्वारा राजस्व न्यायालय सहायक कलेक्टर बालोतरा के समक्ष राजस्व वाद संख्या 124/2022 बअनवान बरगत वगैरा बनाम अकबरखां वगैरा के अनवान का प्रस्तुत किया, जिस राजस्व वाद मे नोटिस रेस्पोडेंटगण सं. 1 ता 8 को प्रेषित करने पर दिनांक 06.09.2023 को नियत तारीख पेशी पर उनकी ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 (डी) सी.पी.सी. का प्रस्तुत कर वाद को रिजेक्ट करने की प्रार्थना की गयी। जिस पर प्रथम बार इस तथ्य की जानकारी अपीलांटगण को हुई कि हस्तगत उपरोक्त अनवानी खसरान की भूमि का राजस्व रेकर्ड में बंटवाडा का इन्द्राज होकर तरमीम की जा चुकी है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पचपदरा जारी जारी विभाजन आदेश दिनांक 29.12.2004 तथा उनकी पालना में तहसीलदार पचपदरा द्वारा पारित म्युटेशन संख्या 338 दिनांक 01.01.2005 को निरस्त करते हुए अपीलांटगण एवं रेस्पोडेंटगण के हिस्सा बराबर निहित करते हुए तथा मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार पुनः नये सिरे से विभाजन किया जाये।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा

7. रेस्पोडेंट संख्या 1/1 ता 1/5 तथा 2/1 ता 2/4 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये, जो तामिल प्राप्त हुए। लिहाजा रेस्पोडेटगण तलवी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस पूर्ण। रेस्पोडेंट संख्या 1/1 ता 1/5 तथा 2/1 ता 2/4 बावजुद सूचना अनुपस्थित रहे। रेस्पोडेंटगण को अपना बहस कथन प्रकट करने हेतु सम्यक अवसर प्रदान किया गया। इसके बावजूद अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा कोई लिखित बहस अथवा दौरान सुनवाई अभिकथन नहीं करने पर प्रकरण में एकपक्षीय सुनवाई की गई।

8. रेस्पोडेंटगण संख्या 3 ता 8 के अधिवक्ता ने दौराने बहस यह कथन किया कि अपीलांटगण तथा रेस्पोडेंटगण संख्या 1 ता 8 की सह खातेदारी खसरा संख्या 283, 302, 305, 309, 315, 326, 327, 313, 314 कुल खसरा 9 कुल रकबा 260 बीघा की भूमि मौजा रिमरखीया, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा में अवस्थित है। उक्त वर्णितानुसार खातेदारी भूमि साकरखां, अगरूखां पिसरान भोमेखां राजस्व रेकर्डेड खातेदार थे। जिनके इंतकाल के बाद अपीलांटगण सहित रेस्पोडेंटगण सं. 1 ता 8 उनके विधिक वारिसान हुए। उक्त खसरान के काविज मालिक खातेदार द्वारा दिनांक 18.12.2004 को पक्षकारान की सहमति से तहसीलदार पचपदरा के समक्ष उपस्थित होकर धारा 53 (2) आरटीए एक्ट के तहत सही व वास्तविकता के अनुसार मौके पर काविज काश्त अनुसार व राजस्व मंडल के नियमानुसार सहमति से बंटवाड़ा किया गया, जिसकी पालना में माफिक आपसी सहमति से बंटवाड़ा अनुसार तथा अपीलांटगण को सुनवाई का अवसर देते हुए भूमि का बंटवाड़ा नामान्तरण संख्या 338 पारित किया गया। नामान्तरण संख्या 338 दिनांक 29.12.2004 को पारित हुये करीब 21 वर्षों से अधिक समय व्यतीत हुये है। करीब 21 वर्षों की अवधि के पश्चात बंटवाड़ा या नामान्तरण को चुनौती देने का कोई अधिकार अपीलांटगण को नहीं है। उक्त बंटवाड़ा के प्रस्ताव पर अपीलांटगण तथा रेस्पोडेंटगण के हस्ताक्षर करवाकर तथा मौके रिपोर्ट के अनुसार आलोच्य आदेश पारित किया गया है। प्रकरण में अपीलकर्ता द्वारा नामान्तरण संख्या 338 दिनांक 29.12.2004 के विरूद्ध अपील पेश की गई है जो कि 21 वर्षों बाद अपील पेश की गई है और अपीलकर्ता द्वारा इतने वर्षों तक अपील प्रस्तुत नहीं करने का कारण या अपील अपीलकर्ता किस तरह से अंदरम्याद होने बाबत एक भी कथन नहीं किये अपीलांट द्वारा श्री सहायक कलेक्टर (एस.डी.एम.) बालोतरा के न्यायालय में प्रस्तुत वादपत्र को विड्रोल कर जानबुझकर मसरी प्रोस्युडिंग म्यूटेशन अपील की कार्यवाही की गयी है। समरी प्रोसेडिंग से किसी के हकों या हिस्से का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। अगर अपीलांट का हिस्सा कम दिया है तो अपीलांटगण समक्ष न्यायालय में घोषणा का दावा प्रस्तत कर सकता है। अपीलांटगण द्वारा वर्तमान अपील अंतर्गत धारा 75 के तहत नामान्तरकरणं संख्या 338 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है तथा अपील में धारा 225 के तहत सहमति से हुए बंटवाड़ा को चुनौती नहीं दी गयी। उक्त आपसी सहमति का आदेश दिनांक 29.12.2004 को तहसीलदार पचपदरा द्वारा सभी खातेदारों द्वारा सहमति के आधार पर मौके पर काविज अनुसार नियमानुसार पारित करवाया गया, जिसके बाद आज भी मौके व रेकर्ड की स्थिति के अनुसार काविज है। आपसी सहमति के विभाजन के लम्बा समय 21 वर्ष बीत चुके है, लेकिन आज दिन तक किसी भी पक्षकार ने कोई एतराज नही किया। आपसी सहमति के विभाजन 05.04.2002 के बाद पक्षकारों का फौतगी नामान्तरकरण भी दर्ज किया गया है, जिसमें भी किसी भी पक्षकार द्वारा कोई एतराज या आपत्ति नहीं की गयी। अपीलांटगण व रेस्पोडेंटगण उक्त आपसी सहमति के विभाजन के कई दशकों बाद शांतिपूर्वक तरीके से बिना किसी रोक टोक के अपने हक–हिस्सो में लगातार खेतीबाड़ी करते आ रहे है। रेस्पोडेंटगण द्वारा अपीलांटगण से कोई धोखाधड़ी गलतबयानी अनुचित प्रभाव एवं समझौते में

जिला कलक्टर
बालोतरा

कमी कारित नहीं की है। तहसीलदार-पचपदरा द्वारा आपसी सहमति के विभाजन उपरांत नामान्तरकरण संख्या 338 दिनांक 01.01.2005 सही व विधि अनुसार पारित किया है तथा सही तरीके से म्यूटेशन की प्रविष्टी दर्ज की गई विभाजन प्रस्ताव किसी भी प्रकार से अशुद्ध रूप से तरमीम नही की गयी। अपीलांट द्वारा वर्तमान अपील 21 वर्षों बाद प्रस्तुत की है तथा इतने वर्षों तक अपीलांटगण द्वारा अपील प्रस्तुत क्यों नहीं की गयी, जिसके बारें में एक भी कथन वर्तमान अपील प्रकरण में नहीं कियां गया है। अतः तहसीलदार पचपदरा द्वारा उक्त विभाजन आदेश तथा पारित आलोच्य म्युटेशन संख्या 338 दिनांक 01.01.2005 जारी किया गया है, को वहाल रखते हुए अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन, आधारहीन तथा म्याद वाहर होने से उक्त अपील खारिज करने का आदेश फरमावे।

9. हमने अपीलांट के अधिवक्ता की बहस सुनी, उपरांत बहस पत्रावली का अवलोकन किया व मनन किया तथा अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट तथ्यो एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया, जिसमें पाया कि अपीलांटगण तथा रेस्पोडेंटगण संख्या 1 ता 8 की सह खातेदारी खसरा संख्या 283, 302, 305, 309, 315, 326, 327, 313, 314 कुल खसरा 9 कुल रकबा 260 बीघा की भूमि मौजा सिमरखीया, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा में अवस्थित है। उक्त भूमि अपीलांटगण एवं रेस्पोडेटगण के संयुक्त खातदारी है। जिसमें अपीलांटगण एवं रेस्पोडेंटगण के हकपूर्वाधिकारी का संयुक्त खातेदारी का रहा है। उक्त भूमि के खातेदारान अपीलांटगण व रेस्पोडेंटगण ने प्रशासन आपके द्वार अभियान 2004 कैम्प सिमरखीया में सह खातेदारान द्वारा विभाजन प्रस्ताव दिनांक 18.12.2004 को उपस्थित हुए। प्रस्तुत सहमति विभाजन पर तथा पटवारी रिर्पोट के आधार पर तहसीलदार पचपदरा के विभाजन ओदश कमांक/राजस्व/656 दिनांक 29.12.2004 द्वारा पारित किया गया। स्वीकृति के अनुसरण में हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण सख्या 338 दायर कर तहसीलदार पचपदरा के समक्ष प्रस्तुत किया तथा तहसीलदार पचपदरा द्वारा दिनांक 01.01.2005 को म्युटेशन को स्वीकृत कर दिया गया है। अपीलांटगण की मुख्य आपत्ति यह है कि उक्त खसरान में अपीलांटगण को अपने हिस्से से कम भूमि दी गई है तथा अपीलांटगण की विना सहमति से उक्त विभाजन एवं विना सुनवाई का अधिकार देते हुेए उक्त म्युटेशन पारित किया गया है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय से तलब की गई मूल पत्रावली का अवलोकन किया, जिसमें प्रशासन आपके द्वार अभियान 2004 में तहसीलदार पचपदरा के समक्ष अपीलांटगण एवं रेस्पोडेंटगण द्वारा अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव पर सहमति से स्वंय हस्ताक्षर कर विभाजन के लिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53(2) के तहत आपसी सहमती बंटवाड़ा आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त खातेदारों के हस्ताक्षर के ताइद व पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक व अतिरिक्त ऑफिस कानूनगो की जांच के उपरांत उक्त आलोच्य बंटवारा आदेश पारित होना पाया गया। पक्षकारान द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पर एंव अधीनस्थ न्यायालय के पत्रावली में समस्त पक्षकारान के हस्ताक्षर होना पाया गया। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त विभाजन अपीलांटगण व रेस्पोडेंटगण के आपसी सहमती से किया गया है। इसके अलावा अपलांट का कथन कि भूमि कम ज्यादा दी गई, तो इस संबंध में अपीलांटगण संबंधित उपखण्ड अधिकारी के समक्ष घोषणा का दावा प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है, इसके लिए अपीलांट आवेदन प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। साथ ही अपीलांटग ने कथन किया कि उक्त आलोच्य विभाजन की जानकारी पूर्व में नहीं थी। इस संबंध में पत्रावली में सलंग्न दस्तावेज का अवलोकन किया, हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान ने अधीनस्थ न्यायालय

जिला कलक्टर
बालोतरा

तहसीलदार पचपदरा के समक्ष धारा 53(2) के तहत सहमति इकरारनामा प्रस्तुत किया, जिस पर अपीलांटगण तथा रेस्पोडेंटगण के हस्ताक्षर अंकित है। अपनी खातेदारी का विभाजन स्वीकार किया हैं तथा तहसीलदार पचपदरा द्वारा इस इकरारनामा को पक्षकारान की उपस्थिति में उनकी स्वतंत्र सहमति से अपीलाधीन आदेश के द्वारा तस्दीक किया गया हैं एवं आलोच्य विभाजन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया, होना बताया गया। इससे स्पष्ट होता है कि अपीलांट को उक्त आलोच्य विभाजन की जानकारी पुर्व मे थी। ऐसे में अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश एवं उसके अनुसरण में राजस्व नक्शा में तरमीम की जानकारी नहीं होने का कथन मानने योग्य नहीं हैं। इस प्रकार अपील म्याद बाहर पेश की गई हैं तथा विलम्ब का कोई ठोस कारण नहीं दिया हैं, जबकि अपीलाधीन आदेश उसकी स्वंय की उपस्थिति में पारित किया गया हैं। प्रकरण में मयाद एवं मेरिट की परिस्थितियों को देखते हुए मौके की स्थिति का तथ्य सारवान नहीं होने से प्रकरण को -मयाद व मेरिट पर निर्णीत किया जाना समीचीन प्रतीत होता हैं। अतः अपीलांट का यह कहना कि अपीलाधीन विभाजन के वास्तविक तथ्य उनकी जानकारी में नही थे, उचित प्रतीत नही होता है। इसके अलावा विभाजन नक्शा में प्रत्येक खातेदार को उसके कब्जे अनुसार भूमि का हिस्सा प्रदान करते हुए सहमति हेतु हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान अंकित कराये गये हैं। हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पचपदरा के समक्ष धारा 53(2) के तहत सहमति इकरारनामा प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी का विभाजन स्वीकार किया हैं तथा तहसीलदार द्वारा इस इकरारनामा को पक्षकारान की उपस्थिति में उनकी स्वतंत्र सहमति से अपीलाधीन आदेश के द्वारा तस्दीक किया गया हैं एवं आलोच्य विभाजन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया, जबकि एक बार सहमति प्रदान करने के बाद इसे जरिये अपील चुनौती दिया जाना विधिसम्मत नहीं है। ऐसे मे अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार पचपदरा द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, उसमें हमारे मत से किसी प्रकार कोई विधिक या वाक्याती त्रुटि कारित नही की गई है। इस प्रकार अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने के साथ साथ मयाद के बिन्दु पर भी खारिज योग्य हैं।

10. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन कथनों पर आधारित होने के साथ–साथ मयाद बाहर होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा पारित विभाजन तथा आदेश उपरांत आलोच्य म्युटेशन को वहाल रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पचपदरा का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे।। पत्रावली फैसल शुमार हाकर नंवर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 09.09.2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
जिला कलक्टर, बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा